<u>अनुलग्नक</u>

अगस्त, 2023 महीने का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश।

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,884 शहरों / कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ + , 1191 शहरों को ओडीएफ + + और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, कराड़, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वॉटर + के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालयों को गूगल मानचित्र पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से लाख देखा जा सकता है।

iii. संबंधित नगर निगम द्वारा नागरिकों की शिकायतों के निराकरण के लिए स्वच्छता ऐप एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 94% से अधिक है।

iv. एसबीएम-यू 2.0 अपशिष्ट प्रबंधन और (वॉश) के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) आईआईएम इंदौर में शुरू हुआ है

क्षमता निर्माण गतिविधियों की सुविधा के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कई विशेषज्ञ एजेंसियों और संस्थानों को सूचीबद्ध और ऑनबोर्ड किया है। मिशन के उद्देश्य के अनुरूप, केंद्रीय मंत्री, श्री हरदीप पुरी ने 10 जुलाई, 2023 को एसबीएम-यू 2.0 की योजना और कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय समीक्षा-सह-कार्यशाला में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एसबीएम-यू 2.0 के तहत आईआईएम इंदौर में स्थापित शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र ने अपना पहला क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्वेषण शुरू किया है।

आईआईएम इंदौर ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ आईआईएम इंदौर में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए 29 सितंबर, 2022 को स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह प्रशिक्षण शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहल करने की क्षमताओं को मजबूत करेगा। सीओई- अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान, अनुसंधान, परामर्श और पक्ष-समर्थन का समन्वय और राज्यों और शहरों को सुव्यवस्थित क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग का लाभ उठाते हुए, इस क्षेत्र में ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए दिशानिर्देशों, टूलकिट और सर्वोत्तम प्रथाओं के अलावा एक अनुकूलित शिक्षाशास्त्र विकसित किया गया है। 31 जुलाई को शुरू किए गए प्रबंधन विकास कार्यक्रम के पहले बैच के लिए, असम, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम राज्यों से 29 अधिकारियों को नामित किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों आईआईएम प्रोफेसर, उद्योग विशेषज्ञ, परामर्शदाता, सलाहकार और वरिष्ठ राज्य अधिकारियों ने चार दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया।

II. स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

i. 1,71,300 करोड़ रुपये की 7,938 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,10,956 करोड़ रुपये की 6,052 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

ii. अगस्त माह के दौरान 2,163 करोड़ रुपए की 77 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

iii. **इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता (आईएसएसी) 2022** को स्मार्ट सिटीज मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आयोजित किया गया है। पांच पुरस्कार श्रेणियों के तहत प्राप्त कुल 845 आवेदनों में से, 66 अंतिम विजेताओं - प्रोजेक्ट अवार्ड में 35, इनोवेशन अवार्ड में 6, नेशनल/जोनल सिटी अवार्ड में 13, राज्य/यूटी अवार्ड में 5 और पार्टनर अवार्ड श्रेणियों में 7 की पहचान की गई है। **भारत के माननीय राष्ट्रपति 27 सितंबर 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आईएसएसी 2022 पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेंगे।**

iv अब तक, **21 स्मार्ट शहरों** ने लेबलिंग कार्यनीति के हिस्से के रूप में, विभिन्न परियोजना साइटों पर सिग्नेज, स्टैंडी आदि लागू किए हैं । इन 21 स्मार्ट शहरों में **चंडीगढ़, हुबली-धारवाड़, पुणे, कोयंबटूर, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, अगरतला, मदुरै, झांसी, श्रीनगर, आगरा, उदयपुर, पिंपरी चिंचवाड़, वारंगल, सोलापुर, ग्वालियर, औरंगाबाद** और **सेलम** शामिल हैं।

iv. प्लेसमेकिंग मैराथन 5.0: स्मार्ट सिटी मिशन ने अगस्त 2023 में प्लेसमेकिंग मैराथन 5.0 लॉन्च किया है, जिसमें 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक से 31 जनवरी, 2024 तक **कम से कम एक सार्वजनिक स्थान को सुधारने** का अनुरोध किया गया है, जिसका प्रयोग न्यूनतम

किया जाता हो। शहर इस पहल में भाग लेने के लिए **8 सितंबर, 2023** तक अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे।

v. स्मार्ट सिटीज मिशन ने स्ट्रीट्स4 पीपुल्स तथा इंडिया साइकिल्स 4 को लोगों के लिए साइकल चलने, सैर करने, कसरत करने और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए सड़कों को सुरक्षित, खुशहाल और स्वस्थ सार्वजनिक स्थान के रूप में फिर से परिकल्पना करने के लिए शुरू किया।

vii. **मिशन में उल्लेखनीय प्रगति**

- शहरों को साक्ष्य-आधारित स्मार्ट गवर्नेंस में मदद करने के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) **100 स्मार्ट शहरों** में संचालित किए गए हैं।

- दक्षता लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग/साझेदारी की आवश्यकता को पहचानते हुए **188 पीपीपी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं** और **3,184** लगभग करोड़ रु निवेश के साथ 28 परियोजनाएं **पाइपलाइन में हैं।** .

- **1,082 जीवंत सार्वजनिक स्थल संबंधी** (नदी/झील का किनारा, पार्क और खेल के मैदान और पर्यटन स्थल) **परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं** ।

- शहरों को सुगम और सुस्थिर बनाने के लिए **1,185 वॉंश परियोजनाएँ और 581 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।**

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. अब तक, 77,640 करोड़ रुपये की अनुमोदित कार्य योजना से अधिक बढ़ी हुई 83,147 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति दे दी गई है । कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 40,215 करोड़ रु की लागत वाली 5,025 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और 42,591 करोड़ रु की 868 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, पूर्ण/चालू अमृत परियोजनाओं में लगभग 73,099 करोड़ रु का वास्तविक कार्य किया गया है, अर्थात लगभग 94% वास्तविक कार्य पूरा हो चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन के लिए (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन के लिए और उप-योजनाओं के तहत अमृत शहरों में' 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का गठन और स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और '25 चयनित शहरों में टाउन प्लानिंग योजनाओं (टीपीएस)के लिए 39,940 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त माह के दौरान 8,816 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है; 2,770 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया; 7,194 व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने में सहायता की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 14,521 ऋण दिए गए ।

V. प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. शुरू के बाद से, मिशन ने 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 112.30 लाख आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिनमें से 76.50 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/ सुपुर्द किए जा चुके हैं।

ii. अगस्त माह ,2023 के दौरान पीएमएवाई (यू) के तहत 2,093.43 करोड़ रु जारी किए गए हैं ।

VI. आवास

i. सभी राज्यों/*संघ राज्य क्षेत्रों* ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, नागालैंड को छोड़कर, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 32 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (नियमित - 27,अंतरिम -05) की स्थापना की । *लद्दाख , मेघालय और सिक्किम ने नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है जबकि प्राधिकरण की स्थापना अभी बाकी है ।*

iii. 28 राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों* ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना की है *(अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख , मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।*

iv. 30 राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों के* नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटें संचालित कर दी हैं *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में चालू करने की प्रक्रिया चल रही है)।*

v. देशभर में 1,10,214 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 78,069 रियल एस्टेट एजेंटों ने रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है।

vi. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,11,766 शिकायतों का निपटारा किया गया है। अगस्त माह 2023 के दौरान 156 परियोजनाएं और 96 एजेंट पंजीकृत किए गए हैं।

VII. पीएम पथ विक्रेता आत्म निर्भार निधि (पीएमस्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) के तहत 69,36,605 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62,81,364 स्वीकृतियां दी गई हैं और 59,15,310 संवितरित किए गए हैं।

ii. अगस्त माह , 2023 के दौरान मिशन के तहत कुल 10.165 करोड़ रु जारी किए गए हैं।

VIII. शहरी परिवहन

पीएम ई-बस सेवा – मंत्रिमंडल ने 16.08.2023 को हुई अपनी बैठक में "पीएम ई-बस सेवा योजना" को मंजूरी दी है । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।